कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India

क.रा.बी.नि.
ESIC

मुख्यालय / Headquarters
पंचदीप भवन, सी॰आइ॰जी॰ मार्ग, नई दिल्ली -110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi–110002
Phone: - 011-23604719, 011-23604720
E-mail: estt3-hq@esic.nic.in

ज्ञापन

विषय : क.रा.बी. निगम के समूह 'ग' के पात्र कर्मचारियों को उत्पादन संबद्ध बोनस वर्ष 2023-24 **का अग्रिम का भुगतान करने के संबंध में।**

वर्ष **2023-24** के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस के अग्रिम जो कि **60** दिवस के तनख्वाह **(**वेतन**)** के बराबर परंतु अधिकतम **13816/- (**तेरह हज़ार आठ सौ सोलह रुपए**)** तक हो**,** के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन एतदद्वारा सूचित किया जाता है। अग्रिम का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी द्वारा घोषणा**-**पत्र भरकर दिए जाने की शर्त के अधीन होगा जो कि संलग्नक 'क' पर दिया गया है कि – **"अग्रिम वर्ष** 2023-24 **के पीएलबी के संबंध में समायोजित किया जाएगा और वर्ष** 2023-24 **के पीएलबी में अधिक भुगतान का पता चलने पर उसको लौटाना होगा"**, अग्रिम का भुगतान उन्हीं शर्तों के आधार पर किया जाएगा जो कि पीएलबी दिए जाने पर लागू होती है और जो पृष्ठ भाग में संलग्न हैं। **हालांकि, अग्रिम उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं से वर्ष** 2023-24 **में सेवानिवृत्त/ इस्तीफा दे चुके हों ।**

पीएलबी के संबंध में**,** अग्रिम की प्रमात्रा की गणना औसत परिलब्धियाँ **/** गणना जो भी कम हो – के आधार पर की जाएगी। एक दिन के पीएलबी अग्रिम की गणना के लिए, एक वर्ष में**,** औसत परिलब्धियों को **30.4 (**एक माह में औसत दिवस**)** से विभाजित किया जाएगा। इसके पश्चात इसे प्रदान किए जाने वाले बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरणार्थ – गणना सीमा में मासिक परिलब्धियाँ जहाँ वास्तविक औसत परिलब्धियाँ **7,000** रुपए से अधिक हों **) 30** दिनों के लिए पीएलबी **7,000 x 30/30.4 = 6,908.89** रुपए **(**पूर्ण रुपयों में **6,908)** होगा। इस प्रकार से**, 60** दिवसों का पीएलबी अग्रिम **6908 x 2=13,816** रुपए **(**तेरह हज़ार आठ सौ सोलह रुपए**)** होगा।

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों **/** उप क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकारी बाहरी शाखा कार्यालयों में काम करने वाले कार्मिकों के संबंध में पीएलबी भुगतान हेतु संयुक्त निदेशक **(**वित्त**)/**उप निदेशक **(**वित्त**)** के समक्ष प्रस्तुति करते हुए अग्रिम आहरित करेंगे।

संयुक्त निदेशक **(**वित्त**)/**उप निदेशक **(**वित्त**)** आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों को स्वीकृत करेंगे और संबंधित क्षेत्रों **/** उप क्षेत्रों **/**का**.** रा**.** बी**.** निगम अस्पताल **/** मेडिकल कॉलेज में विद्यमान पद्धति के अनुसार भुगतान करेंगे।

वर्ष **2023-24** के लिए पीएलबी के विरुद्ध अग्रिम राशि का भुगतान इस कार्यालय को सूचित करते हुए पात्र कर्मचारियों को 21.10.2024 तक किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या और वितरित की गई राशि भी सूचित की जाए।

Signed by Jyoti
Srivastava
Date: 17-10-2024 16:17:23

संलग्नक **:** यथोपरि।

सहायक निदेशक (स्था**.-3)**

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **:**

1. प्रधान निजी सचिव को महानिदेशक महोदय/वित्त आयुक्त महोदया/ मुख्य सतर्कता आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रधान निजी सचिव को बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/आंचलिक बीमा आयुक्त/आंचलिक चिकित्सा आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
3. समस्त क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/क.रा.बी. निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकगण/ चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के अधिष्ठाता / निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली, निदेशालय(चिकित्सा) नोएडा।
4. निदेशक, स्थापना-5, मुख्यालय / निदेशक (वित्त) मुख्यालय, क.रा.बी. निगम नई दिल्ली।
5. समस्त संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त), मुख्यालय/ क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय /का. रा. बी. निगम अस्पताल / मेडिकल कॉलेज
6. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस ज्ञापन को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध सहित सूचनार्थ।

<u>क.रा.बी. निगम के कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023-24 के उत्पादन संबद्ध बोनस के अग्रिम भुगतान हेतु शर्तें</u>

1. समूह 'ग' से सभी कर्मचारियों चाहे वे अस्थाई या स्थायी हों वर्ष **2023-24** के अग्रिम हेतु पात्र हैं बशर्ते वे पूरे वर्ष सेवा में रहे हों और अभी भी सेवा में हों। आकस्मिक /संविदा /अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी बोनस के पात्र नहीं होंगे।
2. जो कर्मचारी संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष से कम सेवा में रहे उन्हें समानुपातिक आधार पर उत्पादन संबद्ध बोनस के लिए अनुमति होगी, बशर्ते कि वर्ष **2023-24** के दौरान वे कम से कम **06** माह क.रा.बी. निगम की सेवाओं में रहे हों और क.रा.बी. निगम की सेवा में अभी भी हों/सेवाएं जारी हों।
3. जो कर्मचारी मासिक **7000/-** से अधिक वेजेस (वेतन) आहरण कर रहे हैं वे उतनी ही दर पर उत्पादकता आधारित लिंक्ड बोनस के अग्रिम के पात्र होंगे जिस दर पर **7000/-** प्रतिमाह तक वेजेस (वेतन) पाने वालों की पात्रता है।
4. वे कर्मचारी जो मार्च माह के दौरान असाधारण या अर्ध वेतन छुट्टी पर हैं, उन्हें पीएलबी का अग्रिम उन्हें उनके वेतन और भत्तों के अनुसार देयता की पात्रता उनकी असाधारण छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी के तहत होगी।

संलग्नक 'क'

अनुवचन-पत्र / UNDERTAKING

मैं / I ______________________________ ______________________________

नाम/Name , पदनाम/Designation

एतदद्वारा निम्नलिखित अनुवचन देता/देती हूँ :-
do hereby undertake as under :-

1. कि मैं यह समझता/समझती हूँ कि वर्ष **2023-24** के लिए मुझे पीएलबी का देय और अनुमेय अग्रिम जो **60** दिनों के वेतन/वेजेस (अधिकतम रु. **13,816/-** तक) के समान है को अनंतिम रूप से संस्वीकृत किया गया है और मुझे भुगतान किया जा रहा है।

That I understand that the advance against the PLB due and admissible to me for the year 2023-24, equal to 60 days' wages (subject to the maximum of Rs. 13,816/-) has been provisionally sanctioned and being paid to me.

2. उक्त अग्रिम राशि मुझे पीएलबी का देय और अनुमेय वर्ष **2023-24** के लिए समायोजित किया जाएगा और बाद में किसी भी कारण से कोई भी अतिरिक्त भुगतान पाया गया तो उसे मैं वापस करूंगा।

The said advance will be adjusted against the PLB due and admissible to me for the year 2023-24 and any excess payment detected at a later stage, on any account, shall be refunded by me forthwith.

(हस्ताक्षर / Signature)

नाम / Name : ______________________________

पदनाम / Designation : ______________________________

दिनांक / Date : ______________________________

Employee id:/ कर्मचारी संख्या______________________________